ISSN : 3048-6203 Volume -2| Issue -2| July - Dec 2025

शोध भूमि

शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र विषय की पूर्व समीक्षित शोध पत्रिका

Page No. : 621-627

सुरक्षित विद्यालय : सुरक्षित समाज की आधारशिला

डॉ.आकांक्षा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ, उत्तर प्रदेश
ई—मेल— singh_akanksha@gmail.com
मोहम्मद मोइनुद्दीन
शोध छात्र, शिक्षा शास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्व विद्यालय ,लखनऊ, उत्तर प्रदेश

शोध सार

शिक्षा द्वारा समाज अपनी संस्कृति को संरक्षित करता है, पोषित करता है और अपने भावी नागरिकों में इसे स्थानांतरित करता है। किसी भी समाज का यह दायित्व होता है कि वह अपने भविष्य की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति सजग और जागरूक रहे। विद्यालय का वातावरण सुरक्षित हो यह समाज के बेहतर भविष्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय में बच्चे सुरक्षित रहकर आनंदमय वातावरण में सीखें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न अभिकरणों द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं और उनके अनुपालन की व्यवस्था भी की गयी है। परन्तु समय समय पर विद्यालयों में होने वाली दुर्घटनाएं अत्यंत दुखद होती हैं और व्यवस्था में त्रुटियों की तरफ इंगित करती हैं। प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य विद्यालय सुरक्षा से सम्बंधित प्रावधानों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में विद्यालय के वातावरण के लिए प्रदत्त संस्तुतियों के आलोक में सुरक्षा सम्बन्धित मुद्दों पर गंभीरता से चिंतन करना है। यहां यह कहना उपयुक्त होगा कि सुरक्षित विद्यालय ही सुरक्षित समाज की तरफ पहला कदम हैं।

बीज शब्द : विद्यालयी सुरक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मूल आलेख :

पिछले कुछ वर्षों में कुछ विद्यालयों में हुई दुखद घटनाओं ने छात्र सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया है। कुछ बड़े हादसों की बात करें तो 2001 में भुज (गुजरात) में आया भूकंप, 2004 में तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल में लगी भयावह आग, जहां छप्पर की छत में आग लगने और आपातकालीन निकास की अनुपस्थिति के कारण 94 बच्चों की जान चली गई थी, 2008 में कोसी की बाढ़ में दो हजार से ज्यादा विद्यालयों को क्षति पहुंची, 2009 में, दिल्ली सरकार के एक गर्ल्स स्कूल में शॉर्ट सर्किट के झूठे अलार्म के कारण मची भगदड़ में पांच छात्राओं की मृत्यु हो गई थी, इन हादसों के बाद सभी का ध्यान भीड़भाड़ और अपर्याप्त निकासी प्रोटोकॉल की ओर आकर्षित हुआ था।

भवन–संबंधी आपदाएँ भी समय समय पर लगातार होती रही हैं। 2015 में, श्रीनगर के एक स्कूल में आग लगने से, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, शैक्षणिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया। इससे भी गंभीर घटना 2019 में गुजरात के साबरकांठा में हुई, जहां भारी बारिश के दौरान एक स्कूल की दीवार गिर गई, जिसमें पांच बच्चों की मौत हो गई। इस दीवार के निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया था और इसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। इसी तरह की चिंताएं 2021 में भी उठी थीं जब उत्तर प्रदेश के सुरानंद में एक स्कूल की इमारत मानसून की बारिश के दौरान ढह गई, जिससे आठ छात्रों की मौत हो गई थी। 2024 में बाराबंकी जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला है वहां स्कूल का छज्जा गिरने से 40 बच्चे घायल हो गए थे।

हाल ही में इसी वर्ष 2024 में देश की राजधानी दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में बारिश का पानी अन्दर आने के कारण यूपीएसपी परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन युवाओं की जान चली गयी थी। सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दे स्कूल परिसर से बाहर भी फैले हुए हैं, जैसा कि 2022 में महाराष्ट्र में महाड पुल ढहने से देखा गया था, जहां एक स्कूल बस के नदी में गिरने से 20 छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना ने छात्रों के लिए सुरक्षित परिवहन मार्गों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बच्चों ले जाने वाली स्कूली बसों और वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने के समाचार अकसर मीडिया में आते रहते हैं। इसी वर्ष 2024 में लखनऊ में एक वैन हादसे में कुछ बच्चे घायल हो गए थे। इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूली वाहनों की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। स्कूलों में अग्नि सुरक्षा की जांच पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन खाकर बच्चों के बीमार होने की खबरें भी आती रहती हैं। विद्यालयों में बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले सामने आना भी चिंता की बात है। हाल के दिनों में स्कूलों में विस्फोटक और आतंकी हमले की धमकियां मिलने की घटनाएं भी सामने आई हैं। यह घटनाएं सामूहिक रूप से पूरे भारत में छात्रों की सुरक्षा के लिए, स्कूल की सुरक्षा के लिए, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आपातकालीन तैयारियों में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

उद्देश्य एवं शोध विधि –

विद्यालय सुरक्षा से सम्बंधित प्रावधानों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में विद्यालय के वातावरण के लिए प्रदत्त संस्तुतियों के आलोक में सुरक्षा सम्बन्धित मुद्दों का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत उद्देश्य कि पूर्ति के लिए दस्तावेज अध्ययन एवं उनका विश्लेषण किया गया है।

विद्यालय का सुरक्षित वातावरण समाज के भविष्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। बच्चे विद्यालय में दिन का एक तिहाई हिस्सा व्यतीत करते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 और शिक्षा का अधिकार (आर टी ई) अधिनियम 2010 के अनुसार, कोई विद्यालय तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक वह निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है अतः यह विद्यालयों कि जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए विद्यालय का समय सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो जिससे कि वह उत्साह एवं आनंद के साथ सीख सके।

विद्यालय सुरक्षा

विद्यालय सुरक्षा का अर्थ है "बच्चों के लिए उनके घरों से उनके स्कूलों तथा स्कूलों से घरों में वापसी तक सुरक्षित वातावरण का निर्माण"। विद्यालय सुरक्षा एक वृहद् प्रत्यय है इसमें विद्यालय में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, हिंसा, मनो–सामाजिक मुद्दे, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, आग, परिवहन आदि से सुरक्षा शामिल है।

प्रायः विद्यालय सुरक्षा से सम्बंधित दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है सेफ्टी व् सिक्यूरिटी जहाँ सेफ्टी का अर्थ है संरक्षा और सिक्यूरिटी का अर्थ है सुरक्षा। संरक्षा (सेफ्टी) एक ऐसी स्थिति को

इंगित करती है जो स्कूल के वातावरण और पर्यावरण को अपराध, हिंसा और चोट से मुक्त बनाने के लिए संबंधित लोगों के समन्वय से बनाए गए उपाय है। संरक्षा को अवांछनीय कार्यों से सुरक्षा के रूप में समझा जाता है। प्राकृतिक आपदा से होने वाला नुकसान भी इसी के अंतर्गत आता है। सुरक्षा (सिक्योरिटी) वह प्रयास है जिसमें व्यक्तियों और समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या भौतिक क्षति की ओर ले जाने वाले खतरों और स्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, एक सुरक्षित स्कूल वातावरण वह है जो बच्चों को सभी खतरों से बचाता है और सभी के शारीरिक, सामाजिक—भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले सद्भाव का वातावरण बनाता है।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन —1989 के अनुसार प्रत्येक बालक को घर, स्कूल और समुदाय में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। विद्यालय की सुरक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार "एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरक सीखने का वातावरण होता है, जहां सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की जाती है।" इसके साथ ही यहां सभी छात्रों के लिए सीखने के लिए अनुकूल अच्छा भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। इन गुणों को प्राप्त करना प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए।

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य विद्यालयी सुरक्षा एवं संरक्षा से सम्बंधित संरचनागत पक्षों को समझना व् भविष्य में विद्यालयी सुरक्षा में हितधारकों के दायित्व व् भूमिका के लिए सुझाव देना है। प्रस्तुत शोध आलेख द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें विभिन्न रिपोर्ट्स एवं दस्तावेज के अध्ययन एवं विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

विद्यालय सुरक्षा से सम्बंधित तीन पक्षों पर समग्रता में ध्यान देने कि आवश्यकता है।

1.विद्यालय का संरचनात्मक ढांचा.

2.विद्यालय में किसी भी प्रकार की आपदा से बचाव की तैयारी.

3.विद्यालय का मनो—सामजिक वातावरण.

चित्र (।) रू विद्यालय सुरक्षा से संबंधित तीन पक्षों को प्रदर्शित कर रहा है।

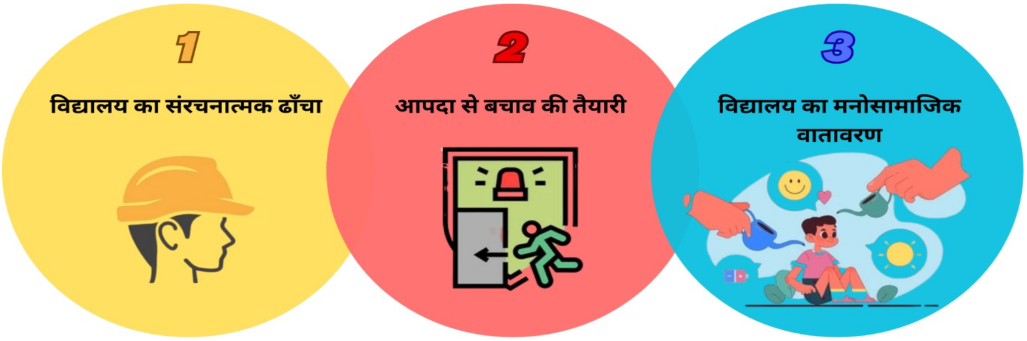

विद्यालय का संरचनात्मक ढांचा—

सुरक्षित विद्यालय के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि भारत में आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है के अनुसार विद्यालय में गैर–संरचनात्मक और संरचनात्मक दोनों गतिविधियाँ विद्यालयी सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं। भारत की प्राकृतिक अवस्थिति भी इसको बाढ़, तूफान, सूखा, अग्नि और अन्य आपदाओं से प्रभावित करती है।

संरचनात्मक सुरक्षा उपाय–

सर्वप्रथम तो स्कूल ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए, जहां किसी भी आसन्न प्राकृतिक खतरे के खिलाफ पहले से ही पर्याप्त उपाय मौजूद हों। संवेदनशील स्थान पर स्थित मौजूदा स्कूलों को या तो सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए या क्षेत्र को प्रभावित करने वाले किसी भी प्राकृतिक खतरे के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सभी नए स्कूल निर्माणों में आपदा प्रतिरोधी विशेषताएं अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए।

विद्यालय के भवन, गलियारों, सीढ़ियों, छतों, पार्श्व क्षेत्रों के संरचनात्मक मानकों के डिजाइन के लिए, निर्माण की गुणवत्ता राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के अनुसार होनी चाहिए। इसमें केवल गैर–दहनशील, आग प्रतिरोधी, गर्मी प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

विद्यालय के ऊर्ध्वाधर विस्तार अथवा क्षैतिज विस्तार से पूर्व मानक के अनुरूप अनुमति लेना आवश्यक होना चाहिए प्रत्येक कक्षा कक्ष में आसान निकासी के लिए दो दरवाजे होने चाहिए, वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था के लिए पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए।

गैर–संरचनात्मक सुरक्षा उपाय

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल परिसर के भीतर गैर–संरचनात्मक तत्वों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ज्यादातर कम लागत वाली, नियमित रखरखाव वाले प्रयास हैं जैसे फर्नीचर की सभी वस्तुएं जैसे अलमारियां, ब्लैक बोर्ड आदि, साथ ही कोई अन्य वस्तुएं जो गिरकर छात्रों और शिक्षकों को चोट पहुंचा सकती हैं जैसे कि छत के पंखे, कूलर, पानी की टंकियां आदि इस तरह से चयनित की जाएं और लगाई जाएं जिनके किसी भी प्रकार से गिरने या ढहने की संभावना ना हो। किसी भी बिजली के सामान जैसे ढीले तार, खुले स्विच आदि को स्कूल द्वारा तुरंत ठीक करवाना चाहिए। स्कूल की प्रयोगशाला में रासायनिक और कोई भी अन्य खतरनाक सामग्री को निर्देशों के अनुसार संभाला और संग्रहीत किया जाना चाहिए। गलियारों और सीढ़ियों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाना चाहिए, वहां अनावश्यक सामन न एकत्र किया जाए जिससे किसी आवश्यकता के समय निकासी सुचारू और तेज हो। भवन की ऊपरी मंजिलों पर ऊंची और मजबूत रेलिंग–बाउंड्री बनानी चाहिए। खेल के मैदान या गलियारों में गमलों को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि सुचारू निकासी प्रभावित न हो किसी भी हानिकारक जानवर या कीटों को बच्चों तक पहुंचने से रोकने के लिए किसी भी परित्यक्त या अप्रयुक्त इमारत, मलबे आदि को हटा दिया जाना चाहिए। स्कूल के बाहर यातायात की आवाजाही का समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। बच्चों को सड़क पार कराने की सुरक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके लिए स्थानीय ट्रैफिक पुलिस से भी सहयोग और उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया जा सकता है। स्कूल द्वारा आयोजित भ्रमण के दौरान, स्कूलों को भ्रमण के स्थान और यात्रा कार्यक्रम का चयन सावधानी से करना चाहिए ताकि खतरे का जोखिम कम से कम हो। जब छात्रों को जल निकायों,

संकीर्ण पहाड़ी रास्तों आदि के करीब ले जाया जा रहा हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। स्कूल के स्वामित्व वालीधकिराए पर ली गई बसों या किसी अन्य वाहन को ठीक से बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को दुर्घटनाओं का खतरा न हो। ड्राइवरों को गति सीमा, वाहनों के रुकने के साथ—साथ संकट प्रबंधन पर उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे स्कूल आने—जाने के दौरान सुरक्षित रहें। आपातकालीन उपकरण जैसे अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट, आदि की नियमित रूप से जांच एवं नया सामान खरीदा जाना चाहिए।

विद्यालय के भीतर सुरक्षित वातावरण के अंतर्गत निम्न पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है।

विद्यालय भवन, विद्यालय की वाह्य दीवार, खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, सुरक्षित पीने का पानी, स्वच्छ रसोई, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, हाथ धोने के स्थान, शौचालय, स्वच्छता एवं सफाई, बिजली की व्यवस्था और बाधा मुक्त वातावरण। विद्यालय के आस पास किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। विद्यालय के अन्दर एवं बाहर भी "जंक फूड" की बिक्री बिना अनुमति व् परीक्षण के नहीं होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत स्कूल स्तर की रसोई के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर दिशानिर्देश (एमडीएम) का पालन करना चाहिए, जिसके अनुसार अन्न एवं खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, तैयारी, परोसने, कूड़ा से सम्बंधित आदि प्रत्येक पक्ष पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही भोजन बनाने एवं परोसने में शामिल लोगों की व्यक्तिगत स्वच्छता के मुद्दे पर भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। भोजन परोसने से ठीक पहले शिक्षक द्वारा भोजन को चखना अनिवार्य है। शिक्षक को भोजन चखने का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखना अनिवार्य होना चाहिए।

आपदा से बचाव की तैयारी :—

विद्यालय में समय समय पर आपदा से बचाव के सम्बन्ध में चर्चा, जागरूकता एवं मोक ड्रिल का आयोजन किया जाना चाहिए। यदि विद्यालय भूकंप सक्रिय क्षेत्र में आता है तो विद्यालय में प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए व आपदा प्रबंधन से सम्बंधित आपात कालीन तैयारी से सम्बंधित योजना के जगह जगह पोस्टर लगाने चाहिए। यह सत्य है कि जान और माल की क्षति आपदा से ज्यादा हमारी उसके प्रति तैयारी ना होने के कारण होती है। जितनी मौतें और नुकसान भूकंप से नहीं होता उससे कहीं अधिक असुरक्षित इमारतों के कारण होता है। अग्नि शमन यंत्रों की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए और उनके प्रयोग के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विद्यालय से घर तक के लिए परिवहन व्यवस्था की भी समय समय पर जांच होना आवश्यक है। स्कूल के बाहर भी बच्चों कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालय की बस में भी एक महिला स्टाफ रहना चाहिए। तकनीक की मदद से भी स्कूली वाहनों में जीपीएस का उपयोग करते हुए उनके निरंतर मानिटरिंग और ट्रैकिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

मनोसामजिक पक्ष—

विद्यालय में किसी प्रकार का भेदभाव, दंड, मानसिक प्रताड़ना एवं डराना धमकाना (बुल्लियंग) बालकों के लिए विद्यालय को असुरक्षित करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अनुसार भी बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। यदि शिक्षक बालक को अनुशासित करने में असमर्थ हों तब आवश्यकता पड़ने पर काउंसलर की

सहयता द्वारा शिक्षक बालक से सम्बंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई की अन्य विधियों का इस्तेमाल कर सकते है। परन्तु शारीरिक दंड किसी भी प्रकार से नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुसार विद्यालय में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के शिक्षण कार्य के लिए एक सुरक्षित और उत्साहजनक शिक्षण वातावरण आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय को समावेशी होना चाहिए। लिंग, जाति, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विद्यालय किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त होना चाहिए। यदि कोई बालक धीरे भी कार्य कर रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसे धैर्य के साथ सुधार का अवसर देना चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुसार बालकों की सुरक्षा में निम्न पक्षों का ध्यान रखना आवश्यक हैरू विद्यालय की संरचना, इसके तहत भवन आदि से सम्बंधित पक्षों का ध्यान रखा जाए। सांवेगिक संरक्षा के अंतर्गत विद्यालय में दैनिक दिनचर्या में किसी भी प्रकार से बच्चों कि भावनाओं को आहत ना किया जाए। बौद्धिक संरक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने और ज्ञान की खोज में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता हो। कक्षा के माहौल में सभी विद्यार्थियों को प्रश्नों का उत्तर देने और चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे इस विश्वास के साथ भाग ले सकें कि वे जो कहते हैं उसका समूह की सीखने की प्रक्रिया में स्थान है, भले ही वह गलत हों। बच्चों के प्रति यौन शोषण व साइबर अपराध से भी विद्यालय को सतर्क रहना चाहिए। साइबर अपराध हमारे समाज की एक बड़ी चिंता बन रहा है। बच्चे और स्कूल भी इससे अछूते नहीं हैं। स्कूलों को इसके लिए साइबर विशेषज्ञों की सहायता भी लेनी चाहिए। साथ इस किसी भी प्रकार कि धमकी, बुल्लियिंग, साइबर बुल्ल्यिंग, यौन शोषण से भी बच्चों को दूर रखा जाए। यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा से सम्बंधित अधिनियम की जानकारी विद्यालय में सभी को होनी चाहिए और किसी भी विद्यालय में कार्यरत सभी स्टाफ व शिक्षक को जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए और अपने सहकर्मियों और छात्रों को यौन अपराधों और उल्लंघनों से बचाने में भूमिका निभानी चाहिए। इसके उल्लंघन के प्रति शून्य सहनशीलता दिखानी होगी। विद्यालय में कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम होने चाहिए। विद्यार्थी को अनिवार्य साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उचित उपयोग के विषय में शिक्षित किया जाना चाहिए। अपने स्कूल पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्हें हमेशा शिक्षक की देखरेख में इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

विद्यालयी सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। विद्यालय में सुरक्षा के प्रति सजग रहना एवं समय—समय पर इसकी निगरानी करते रहना चाहिए। निगरानी हेतु स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एस एम् सी), ब्लाक शिक्षा अधिकारी (बी ई ओ), जिला शिक्षा अधिकारी (डी ई ओ), जिला अधिकारी, राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समन्वित प्रयास से ही यह संभव होगा। विद्यालयों में सुरक्षा को समझना एवं इसके लिए कुछ समय निर्धारित कर चर्चा करना भी आवश्यक है। इसमें विद्यार्थियों को भी शामिल करना चाहिए। यहां यह बताना बेदह जरूरी है कि अभिभावकों को भी बच्चों और स्कूलों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सम्मिलित किया जाए। अभिभावकों से इस संबंध में फीड बैक भी लिए जाएं। विद्यालय में संरचनागत सुधार, व्यवस्था की

देखभाल नियमित रूप से होनी चाहिए। माता–पिता के पते और फोन नंबर नियमित रूप से अद्यतन किए जाने चाहिए। सभी आपातकालीन संपर्क नंबर सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए। उनको नोटिस बोर्ड पर लगा देना चाहिए। निकटतम चिकित्सा केंद्र, अस्पताल, डॉक्टर, एम्बुलेंस, अग्निशमन केंद्र के टेलीफोन नंबर, और पुलिस स्टेशन का पता और नम्बर भी नोटिस बोर्ड पर लगे होने चाहिए। इस प्रकार हम अपने समाज के भावी नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सतत सजग रह कर ही आश्वस्त हो सकते हैं।

सन्दर्भ

1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2021) मैन्युअल ऑन सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल / https://ncpcr.gov.in/
2. एन सी ई आर टी (2022) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउन्डेशनल स्टेज 2022 https://ncert.nic.in/ pdf/NCF_for_Foundational_Stage_20_October_2022.pdf
3. एन सी ई आर टी (2023) नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल स्टेज 2023 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/infocus_slider/NCF-School-Education-Pre-Draft.pdf
4. भारत सरकार (2012) द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 https://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO%20Act%2C%202012.pdf
5. भारत सरकार (2016) द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डीसएबिलिटी एक्ट http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
6. महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय (2016) नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन 2016 safe चिल्ड्रेन हैप्पी चाइल्डहुड https://wcd.nic.in/sites/default/files/National%20Plan%20of%20Action%202016.pdf
7. यूनिसेफ(2020)मैन्युअल ओन कोम्प्रेहेंसिवे स्कूल सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी प्रोग्राम://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unicef.org/india/media/2806/file/School-Safety-Security-Manual-WestBengal.pdf
8. शिक्षा मंत्रालय (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
9. डे, ए., खसरा, आर., सैमसन, एम., और कुमार, ए.एस. (2011). प्रोब रिविजिटेड–भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर एक रिपोर्ट. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
10. मिश्रा, एस., और मलिक, एन. (2023). भारत में सफल स्कूल प्रबंधनरू नवोदय विद्यालय समिति. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एंड एप्लाइड रिसर्च. 10 (3). https://doi.org/10.5281/zendo.7714467
11. पांडा, एस. के. (2023). शिक्षार्थियों के लिए सुंदर विद्यालय का निर्माणरू विद्यालय में सुरक्षा (पहली बार 2018 में प्रकाशित). अंकुर बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स.